भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3531
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी अवसंरचना और ईसीसीई

3531. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार हुआ है;

(ख) इन उन्नत ईसीसीई के सत्रों में भाग लेने वाले बच्चों के बीच स्कूल जाने के लिए तत्परता और संज्ञानात्मक कौशल के संबंध में देखे गए वास्तविक लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल-वर्धन कार्यक्रम उन्हें ईसीसीई पाठ्यक्रम और आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं, दोनों प्रदान करने में प्रभावी ढंग से सक्षम बना रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय आंगनवाड़ी अवसंरचना को बुनियादी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिसरण मंच का उपयोग किस प्रकार कर रहा है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत, सरकार ने अब तक 1,03,940 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया है ताकि लाभार्थियों को बेहतर

पोषण प्रदान किया जा सके और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस उन्नयन में एलईडी स्क्रीन और अन्य श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वाई-फाई/इंटरनेट कनेक्टिविटी (जहां भी संभव हो), सुरक्षित पेयजल सुविधाएं जैसे वाटर फिल्टर/आरओ सिस्टम, बाला (बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड) पेंटिंग, आयु-उपयुक्त ईसीसीई शिक्षण सामग्री, पोषण वाटिका (किचन गार्डन), खाद्य सामग्री के लिए स्वच्छ भंडारण सुविधा, वर्षा जल संचयन प्रणाली और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य वस्तुएं/कार्य शामिल हैं। यह सुधार प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सुरक्षित, प्रेरक और अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करते हैं, जिससे खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करना आसान हो जाता है, और इस प्रकार 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास और विद्यालय के लिए उनकी तैयारी शुरू होती है।

(ख): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा संरचित गृह भ्रमण के माध्यम से 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को लागू किया जाता है। यह गृह भ्रमण 'नवचेतना - प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय ढांचा' पर आधारित हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल और गतिविधि आधारित ईसीसीई पाठ्यक्रम के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसका नाम 'आधारशिला – 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम' है।

(ग): पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के प्रभावी वितरण के साथ-साथ आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी क्षमता को मजबूत करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। 9 मार्च 2026 तक, पीबीपीबी के पहले चरण के अंतर्गत 10,25,515 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में नवचेतना के अनुसार प्रारंभिक प्रोत्साहन एवं अधिगम गतिविधियों और आधारशिला के रूप में खेल-आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) शिक्षण पद्धति जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है।

(घ): आधारशिला-प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क-फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस), 2022 पर आधारित है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संयुक्त रूप से 3 सितंबर, 2025 को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के

भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। जिन स्थानों पर भौतिक रूप से सह-स्थापना संभव नहीं है, वहां एडब्ल्यूसी को निकटतम प्राथमिक विद्यालय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य युवा, योग्य शिक्षार्थियों के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करना है। यह पहल प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा और कक्षा 1 से शुरू होने वाली औपचारिक स्कूली शिक्षा के बीच निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को भी सुनिश्चित करता है, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, और बच्चों को प्री-स्कूल से प्राथमिक विद्यालय जाने में सुगमता प्रदान करता है।
